न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 57/2021 (2021/246)

अमरचन्द पुत्र सोहनलाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. रोडू पुत्र दुर्गालाल
2. भागचन्द पुत्र बजरंगलाल
3. बन्नालाल पुत्र बजरंगलाल
4. पानी पत्नि बजरंगलाल

[illegible] जाति जाट निवासीगण ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 17.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बोगला** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्नानुसार [illegible] है:-

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
8–8	2248/1595	0.78	चा.2 खड्डा

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी दिनांक 25.04.2021 को आराजीयात में आवश्यक कार्य करने गये तो पडोसियों ने सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में हकाई बुवाई भी नही करने दी जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। उनको सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहे अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पेरोकार सरकार को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बोगला की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 8–8 खसरा नम्बर 2248/1595 रकबा 0.78 है. किस्म चा.2 खड्डा की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 17.11.2021 को केम्प कालेडा कृष्णगोपाल में मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधि.

केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner